

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/8209-यू/जोन-बीकानेर/2024/284 दिनांक : 22/04/24

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्रीमती हरनीत परमार, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, श्रीगंगानगर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16.07.2005 है, को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 16.07.2023 से पे मेट्रिक्स के लेवल-10 में एमएसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/8209-यू/जोन-बीकानेर/2024/284 दिनांक : 22/04/24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
2. सहायक औषधि नियंत्रक, जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, श्रीगंगानगर।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. श्रीमती हरनीत परमार, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
5694338

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 12-04-2024 04:09:39